अध्याय III: संघ शासित क्षेत्र (राजस्व क्षेत्र)

अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन

सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय

3.1 ₹51.42 लाख का गबन

सिविल लेखा नियम-पुस्तक के अन्तर्गत अपेक्षित आहरण एवं संवितरण अधिकारी की समय-समय पर लेखाओं का समाधान करने तथा भुगतान एवं लेखा कार्यालय को बैंक समाधान विवरण प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹51.42 लाख का गबन हुआ।

सिविल लेखा नियम-पुस्तक[1] के अनुसार, साधनों/नकदी के माध्यम से प्राप्तियां आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा निर्धारित चालान फार्मों के माध्यम से विभाग के अधीकृत बैंक में सरकारी लेखा में जमा कराई जानी चाहिए। प्राप्तकर्ता बैंक दैनिक प्राप्ति सूचियां बनाता है जहाँ प्राप्ति स्क्रोल की क्रम संख्या पहचान के उद्देश्य से तद्नुरूप चालानों पर दर्ज की जाती हैं तथा प्राप्ति सूचियों तथा चालानों की एक प्रति डीडीओ को दी जाती है। डीडीओ से अपेक्षित है कि वह चालानों तथा जमा की गई राशियों के ब्योरे देते हुए प्राप्तियों का साप्ताहिक विवरण तैयार करे, प्राप्ति सूचियों की प्रति में दी गई प्रविष्टियों की प्राप्तियों के विवरण में दी गई प्रविष्टियों की जांच करे तथा भुगतान तथा लेखा अधिकारी (पीएओ) के परामर्श से बैंक के साथ त्रुटियों का समाधान करे। डीडीओ से यह भी अपेक्षित है कि वह पीएओ को निर्धारित फार्म में एक मासिक बैंक समाधान विवरण भेजे।

सूचना, प्रचार तथा पर्यटन (विभाग) निदेशालय, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन (प्रशासन) के अभिलेखों से पता चला कि डीडीओ, सरकारी प्राप्तियों का बैंक स्क्रोल के साथ समाधान करने अथवा संबंधित पीएओ को बैंक समाधान विवरण प्रेषित करने में विफल रहा।

---

[1] सिविल लेखा नियम-पुस्तक ("प्राप्ति स्क्रोल तथा संबंधित समाधान एवं लेखांकन प्रक्रिया" के अंतर्गत) का पैरा 1.10.2।

रोकड़ बही के संदर्भ में पीएओ संकलन शीटों तथा अन्य संगत अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि फरवरी 2011 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान, विभाग ने कमरे के किराए, खान-पान सेवाओं, सेल्युलर जेल में साऊंड एवं लाईट शो आदि के प्रति कुल ₹20.79 लाख की नकदी प्राप्त की। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि वह राशि, रोकड़ बही के अनुसार चालानों के माध्यम से सरकारी लेखे में जमा कराई गई दर्शाई गई थी, तथापि, तद्नुरूपी चालानों का पीएओ संकलन शीटों में कुछ पता नहीं लग रहा था तथा उन्हे सरकारी लेखे में नहीं दर्शाया गया था। चालानों की प्रतियां जिनके प्रति वे क्रमिक संख्याकिंत चालानों के माध्यम से बैंक में जमा कराए गए थे, भी गुम थी तथा उन्हे विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसी बीच, लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर विभाग ने 2007-08 से लेखाओं की आगे जांच की गई और पाया कि उपर्युक्त राशि के अतिरिक्त ₹30.63 लाख की राशि भी गुम थी।

विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की (मार्च 2015) और कहा कि मामला आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों को सौंपा जा रहा था। संबंधित हैड क्लर्क, जिसने तद्नुरूपी अवधि के दौरान नकदी का संचालन किया था, को अप्रैल 2015 से निरस्त कर दिया गया था और उसे चार्ज शीट का ज्ञापन दे दिया गया था (नवम्बर 2015)। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (जून 2016)।

इस प्रकार, सरकारी लेखे में जमा कराई गई तथा क्रेडिट की गई राशि के समय-समय पर समाधान हेतु सिविल लेखा नियम-पुस्तक के प्रावधानों का पालन करने में डीडीओ की विफलता के परिणामस्वरूप ₹51.42 लाख के सरकारी धन का गबन हुआ।

मामला अक्तूबर 2015 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जून 2016 तक प्रतीक्षित था।

संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़

3.2 संसदीय अनुमोदन के बिना व्यय तथा भारत की समेकित निधि से बाहर विभागीय प्राप्तियां अप्राधिकृत रुप से रोके रखना

पुलिस विभाग, संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ ने संवैधानिक प्रावधानों तथा वित्तीय नियमों के विपरीत ₹10.24 करोड़ की राशि की प्राप्तियों के साथ बैंक खाता ऑपरेट करके 2013-14 तथा 2016-17 के बीच पुलिस की भर्ती पर ₹1.25 करोड़ खर्च किए।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार यह अनिवार्य है कि सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व से भारत की समेकित निधि का निर्माण होगा तथा इन उद्देश्यों के लिए तथा संविधान में प्रदत्त धन के अतिरिक्त किसी भी धन का पुनर्विनियोजन नहीं होगा। अनुच्छेद 114(3) में प्रावधान है कि कानून द्वारा किए गए विनियोग को छोड़कर अर्थात् जैसा कि संसद द्वारा पारित किया गया हो, भारत की समेकित निधि से कोई धन आहरित नहीं किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार (प्राप्तियां एवं भुगतान) नियमावली 1983 के नियम 6 तथा सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 3 में दोहराया गया है कि राजस्व अथवा प्राप्तियों के प्रति प्राप्त समस्त धन, बिना किसी अनुचित विलम्ब के सरकारी लेखे में शामिल किया जाएगा।

पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) यूटी चण्डीगढ़ बजट के अनुमोदन हेतु संसद को अनुदानों के लिए विस्तृत मांग प्रस्तुत किए बिना अक्तूबर 2013 से चण्डीगढ़ पुलिस के लिए वार्षिक पुलिस भर्ती (संख्या में पांच) कर रहा था। इस उद्देश्य के लिए, आईजी पुलिस चण्डीगढ़ सार्वजनिक तथा निजी बैंकों में बचत बैंक खाते ऑपरेट कर रहा था जिनमें आईजी पुलिस चण्डीगढ़ ने राजस्व जैसे भर्ती के लिए आवेदन शुल्क जमा किया तथा संवैधानिक प्रावधानों को नजर अन्दाज करके इस खाते में से भर्ती पर किये गये समस्त दैनिक खर्चों के ब्यौरे निम्न तालिका में दिए गए हैं।

बैंक का नाम	खोलने की तारीख	बन्द करने की तारीख
एचडीएफसी बैंक सेक्टर 22 चण्डीगढ़	26.12.2013	13.01.2016
एसबीआई जीएमसीएच सेक्टर 32 चण्डीगढ़	29.06.2015	अभी बन्द नहीं किया गया क्योंकि वर्ष 2015-16 के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

लेखापरीक्षा में की गई जांच के अनुसार 2013-14 से 2016-17 तक (मई 2016 तक) बैंक खातों में प्राप्ति तथा व्यय के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं।

वर्ष	अथ शेष	प्राप्तियां (₹)	व्यय (₹)	अन्त शेष (₹)
एचडीएफसी बैंक				
2013-14	-	1,31,67,038	2,16,552	1,29,50,486
2014-15	1,29,50,486	51,74,369	89,97,923	91,26,932
2015-16	91,26,932	1,91,519	15,78,215	**77,40,236**[2]
एसबीआई				
2015-16	--	8,38,44,385	630	8,38,43,755
2016-17 एवं (मई 2016 तक)	8,38,43,755	-	16,56,705	8,21,87,050
जोड़		**10,23,77,311**	**1,24,50,024**	**8,21,87,050**

मामला लेखापरीक्षा द्वारा मई 2015, अगस्त 2015 तथा मई 2016 में इंगित किया गया था, आईजी पुलिस, यूटी, चण्डीगढ़ के उत्तरों (अक्तूबर 2015, जनवरी 2016 तथा मई 2016) ने उपर्युक्त तालिका में दिए गए तथ्यों की पुष्टि की। तथापि, संसदीय बजट अनुमोदन के बिना भर्ती प्रक्रिया करने में कोई उत्तर नहीं दिया गया था।

मामला गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार तथा वित्त सचिव, यूटी चण्डीगढ़ को भेजा गया था (अक्तूबर 2015 तथा जून 2016), जिसके अनुसरण में एमएचए चण्डीगढ प्रशासन ने उनकी टिप्पणियां सीधे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करने का निदेश दिया (अक्तूबर 2015)। टिप्पणियां जून 2016 तक प्रतीक्षित हैं।

[2] अक्तूबर 2015 में सरकारी खाते में जमा किया गया।